



2026:AHC:16466-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4363 वर्ष 2003

रिपुंजय राय

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता

:

आदर्श कुमार, बी.एन. राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. कार्यालय की दिनांक 15.09.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, एकमात्र अपीलकर्ता रिपुंजय राय का निधन हो गया है।
2. तदनुसार, अपील को समाप्त मानकर खारिज किया जाता है।
3. यदि निचली अदालत का अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसे इस आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

22 जनवरी 2026

एकेटी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।